



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 213]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 25, 2017/ज्येष्ठ 4, 1939

No. 213]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 25, 2017/JYAISTHA 4, 1939

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2017

सं. 1-सीए(7)/178/2016.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप विनियमों को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 20 दिसंबर, 2016 में उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी पैतालीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र जनता को 20 दिसंबर, 2016 को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर संस्थान की परिषद् द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (संशोधन) विनियम, 2017 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) के विनियम 2 के उपविनियम (1) में, खंड (xvii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-  
“(xviii) “विनिर्दिष्ट” से परिषद् द्वारा संस्थान की शासकीय वेबसाइट पर विनिर्दिष्ट किया गया अभिप्रेत है।”
- उक्त विनियमों के विनियम 4 के खंड (ख) में “विनिर्दिष्ट किया जाए” शब्दों के स्थान पर “अनुमोदित” शब्द रखा जाएगा।

4. उक्त विनियमों के विनियम 22 में, उपविनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु किसी कारण से परीक्षा की समय-सूची में ऐसे किसी परिवर्तन को, जो परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित है, संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से उदघोषित किया जाएगा।”

5. उक्त विनियमों के विनियम 25क का लोप किया जाएगा।

6. उक्त विनियमों के विनियम 25ख का लोप किया जाएगा।

7. उक्त विनियमों के विनियम 25ग में, उपविनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“(3) इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, परिषद् फाउंडेशन पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रारंभ होने के पश्चात् संस्थान की वेबसाइट पर सूचना द्वारा सामान्य प्रवीणता पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकरण बंद कर सकेगी।”

8. उक्त विनियमों के विनियम 25घ में,

(i) उप विनियम (3) में, “विनिर्दिष्ट किया जाए” शब्दों के स्थान पर “अनुमोदित” शब्द रखा जाएगा ;

(ii) उप विनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“(4) इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिषद् फाउंडेशन परीक्षा आरंभ होने के पश्चात् सामान्य प्रवीणता परीक्षा के आयोजन को समाप्त कर सकेगी और अभ्यर्थियों से विनियम 25च के अधीन समय-समय पर परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यचर्या के अनुसार फाउंडेशन परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जाएगी।”

9. उक्त विनियमों के विनियम 25घ के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

**“25ङ फाउंडेशन पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकरण –** (1) किसी अभ्यर्थी को तब तक फाउंडेशन पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह भारत में विधि द्वारा गठित किसी शिक्षा निकाय द्वारा आयोजित की जाने वाली उच्च माध्यमिक (10+2) परीक्षा या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजन के लिए उसके समतुल्य के रूप में मान्यताप्राप्त किसी परीक्षा में उपसंजात न हुआ हो।

(2) कोई अभ्यर्थी फाउंडेशन पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रीकरण के लिए परिषद् द्वारा अनुमोदित प्ररूप में आवेदन के साथ ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर विहित की जाए, जो पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।

**25च. फाउंडेशन परीक्षा में प्रवेश, फीस और पाठ्यचर्या –** (1) किसी अभ्यर्थी को तब तक फाउंडेशन परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जब तक कि,--

(क) वह क्रमशः नवंबर और मई मास में आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए 30 जून को या उससे पूर्व अथवा 31 दिसंबर को या उससे पूर्व संस्थान के अध्ययन बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत न हो ; और

(ख) उसने भारत में विधि द्वारा गठित किसी शिक्षा निकाय द्वारा आयोजित की जाने वाली उच्च माध्यमिक (10+2) परीक्षा या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजन के लिए उसके समतुल्य के रूप में मान्यताप्राप्त किसी परीक्षा को उत्तीर्ण न कर लिया हो।

(2) कोई अभ्यर्थी फाउंडेशन परीक्षा के लिए ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो परिषद् द्वारा नियत की जाए और जो किसी भी दशा में दस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।

(3) फाउंडेशन परीक्षा के लिए किसी अभ्यर्थी की, समय-समय पर परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यचर्या के अनुसार परीक्षा ली जाएगी।”

10. उक्त विनियमों के विनियम 28क का लोप किया जाएगा।

11. उक्त विनियमों के विनियम 28ख का लोप किया जाएगा।

12. उक्त विनियमों के विनियम 28ग का लोप किया जाएगा।

13. उक्त विनियमों के विनियम 28घ में,--

(i) उपविनियम (2) के दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु यह और कि ऐसा कोई अभ्यर्थी, जो पहले से ही इन विनियमों के अधीन तत्कालीन मध्यवर्ती या वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम-II) या मध्यवर्ती (वृत्तिक सक्षमता) पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत है, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, मध्यवर्ती (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) पाठ्यक्रम में नामांकन या संपरिवर्तन के लिए पात्र होगा।”;

(ii) उपविनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपविनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“(4) इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिषद् मध्यवर्ती पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रारंभ होने के पश्चात् संस्थान की वेबसाइट पर सूचना द्वारा मध्यवर्ती (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकरण को समाप्त कर सकेगा।”

14. उक्त विनियमों के विनियम 28ड में,--

- (i) शीर्ष के अधीन कोष्ठकों में आने वाले पद में, “विनिर्दिष्ट किए जाएं” शब्दों के स्थान पर “अनुमोदित” शब्द रखा जाएगा ;
- (ii) उपविनियम (3) में, “विनिर्दिष्ट किए जाएं” शब्दों के स्थान पर “अनुमोदित” शब्द रखा जाएगा ;
- (iii) उपविनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(4) इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिषद् मध्यवर्ती पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रारंभ होने के पश्चात् मध्यवर्ती (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा का आयोजन समाप्त कर सकेगी और अभ्यर्थियों से, परिषद् द्वारा समय-समय पर विनियम 28छ के अधीन अनुमोदित पाठ्यचर्या के अनुसार मध्यवर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा कर सकेगी।”

15. उक्त विनियमों के विनियम 28ड के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

“28च. मध्यवर्ती पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकरण और फीस—(1) चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अभ्यर्थियों के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम को मध्यवर्ती पाठ्यक्रम कहा जाएगा, जिसमें तीन स्तर होंगे, अर्थात् समूह I, लेखांकन तकनीशियन (वैकल्पिक) और समूह II। कोई अभ्यर्थी (i) समूह I या (ii) समूह I और लेखांकन तकनीशियन या (iii) लेखांकन तकनीशियन और समूह II या (iv) समूह I और समूह II या (v) इस विनियम में ऊपर निर्दिष्ट सभी स्तरों के लिए नामांकन हेतु विकल्प ले सकेगा।

(2) मध्यवर्ती पाठ्यक्रम हेतु रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई अभ्यर्थी परिषद् द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले प्ररूप में आवेदन के साथ ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो परिषद् द्वारा नियत की जाएगी, जो कि पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।

(3) किसी भी अभ्यर्थी को तब तक मध्यवर्ती पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसने फाउंडेशन परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो।

(4) उपविनियम (3) में विनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी, विनियम 2 के खंड (ix) के अर्थात्गत कोई स्नातक या स्नातकोत्तर मध्यवर्ती पाठ्यक्रम हेतु रजिस्ट्रीकरण के लिए भी पात्र होगा, यदि ऐसा व्यक्ति --

(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय (जिसके अंतर्गत मुक्त विश्वविद्यालय भी हैं) द्वारा आयोजित परीक्षा में कुल अंकों का न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य ग्रेड प्राप्त करके वाणिज्य में स्नातक या स्नातकोत्तर है, जिसने किसी सिमेस्टर या वर्ष में न्यूनतम पचास अंकों वाले या संबद्ध पाठ्यक्रम की संपूर्ण अवधि के दौरान एक सौ या अधिक अंकों वाले निम्नलिखित में से किन्हीं तीन विषयों का अध्ययन किया है, अर्थात्, लेखांकन, लेखापरीक्षा, वाणिज्य विधि, निगम विधि, अर्थशास्त्र, प्रबंधन (जिसके अंतर्गत वित्तीय प्रबंधन भी है), कराधान (जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष कर विधि और अप्रत्यक्ष कर विधि भी है), लागत, कारबार प्रशासन या प्रबंध लेखांकन या संस्थान के अध्ययन बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित भिन्न नामकरण वाले इन विषयों के समान शीर्षक वाले विषय।

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट से भिन्न ऐसे स्नातक या स्नातकोत्तर, जिन्होंने किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय (जिसके अंतर्गत कोई मुक्त विश्वविद्यालय भी है) द्वारा आयोजित परीक्षा में कुल अंकों के न्यूनतम साठ प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य ग्रेड प्राप्त किया है।

स्पष्टीकरण – इस उपविनियम के प्रयोजन के लिए—

- (i) अंकों के प्रतिशत की गणना करने के लिए, ऐसे विषयों में प्राप्त अंकों की, जिनमें किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय (किसी मुक्त विश्वविद्यालय सहित) द्वारा केवल उत्तीर्ण अंक

प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है और जिसके लिए अधिक प्राप्त अंकों के लिए कोई विशेष प्रत्यय नहीं दिया जाता है, अनदेखी की जाएगी, और

(ii) किसी अपूर्णाक या आधे अंक को निकटतम पूर्णाक के रूप में संगणित किया जाएगा।

(5) उप विनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई अभ्यर्थी, जो स्नातक पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष को पूरा कर रहा है, मध्यवर्ती पाठ्यक्रम में अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र होगा, जिसकी पुष्टि केवल उसके द्वारा इस बात का समाधानप्रद सबूत प्रस्तुत करने पर की जाएगी कि उसने स्नातक परीक्षा में बैठने की तारीख से छह मास से अनधिक ऐसी अवधि, जो परिषद् द्वारा विनिश्चित की जाए, के भीतर इस विनियम के उप विनियम (4) में यथा उपबंधित न्यूनतम अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है :

परंतु यदि ऐसा अभ्यर्थी पूर्वोक्त अवधि के भीतर सबूत प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसके अनंतिम रजिस्ट्रीकरण को रद्द किया जाएगा और इन विनियमों के प्रयोजन के लिए—

(i) प्राप्त की गई सैद्धांतिक शिक्षा के लिए कोई प्रत्यय नहीं दिया जाएगा ; और

(ii) परिषद् रजिस्ट्रीकरण और/या ट्यूशन फीस की ऐसी रकम का प्रतिदाय अनुज्ञात कर सकेगी, जैसे की उसके द्वारा समय-समय पर विनिश्चय किया जाए।

(6) ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसने लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) के अधीन स्थापित भारतीय लागत लेखापाल संस्थान या कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) के अधीन स्थापित भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा आयोजित मध्यवर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की है, मध्यवर्ती पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र होगा :

परंतु ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसने इन विनियमों के अधीन प्रवेश परीक्षा या तत्कालीन फाउंडेशन या वृत्तिक शिक्षा (परीक्षा-I) या सामान्य प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण की है, इन विनियमों के अन्य उपबंधों और परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए मध्यवर्ती पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र होगा :

**28छ. मध्यवर्ती परीक्षा में प्रवेश, फीस और पाठ्यचर्या—** (1) किसी अभ्यर्थी को तब तक मध्यवर्ती परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जब तक कि वह संस्थान के अध्ययन बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत न हो और उसने इस प्रभाव का प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर दिया हो कि उसने उस मास की पहली तारीख को, जिसमें परीक्षा ली गई थी, ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा किया है :

परंतु ऐसा कोई अभ्यर्थी, जो विनियम 28च के उपविनियम (3) के अधीन मध्यवर्ती पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत है, उस मास की पहली तारीख को, जिसमें परीक्षा ली जाती है, विनियम 50 के अधीन नौ मास का व्यवहारिक प्रशिक्षण पूरा करने पर मध्यवर्ती परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र होगा।

(2) उपविनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई अभ्यर्थी, जो तत्कालीन मध्यवर्ती या वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम II) या मध्यवर्ती (वृत्तिक सक्षमता) पाठ्यक्रम या मध्यवर्ती (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत था, परिषद् द्वारा अधिकथित की जाने वाली शर्तों पर और इन विनियमों के अन्य उपबंधों के अनुपालन के अधीन रहते हुए मध्यवर्ती परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र होगा।

(3) मध्यवर्ती परीक्षा के लिए कोई अभ्यर्थी ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर नियत की जाए और जो दस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।

(4) मध्यवर्ती परीक्षा के किसी अभ्यर्थी की परिषद् द्वारा समय-समय पर अनुमोदित पाठ्यचर्या के अनुसार परीक्षा ली जाएगी।

16. उक्त विनियमों के विनियम 29 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

**"29. फाइनल पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकरण और फीस –** (1) ऐसे किसी अभ्यर्थी से, जिसने इन विनियमों के अधीन मध्यवर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की है, फाइनल परीक्षा के लिए रजिस्टर करने की अपेक्षा की जाएगी :

परंतु ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसने इन विनियमों के अधीन तत्कालीन मध्यवर्ती परीक्षा या वृत्तिक परीक्षा (परीक्षा II) या मध्यवर्ती (वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा या मध्यवर्ती (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा उत्तीर्ण की है किंतु इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख को फाइनल परीक्षा के लिए रजिस्टर नहीं किया है, इन विनियमों के अन्य उपबंधों के अनुपालन के अधीन रहते हुए फाइनल पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रीकरण के लिए भी पात्र होगा :

परंतु यह और कि ऐसा कोई अभ्यर्थी, जो इन विनियमों के अधीन पहले ही फाइनल पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत है, परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली शर्तों के अधीन रहते हुए फाइनल पाठ्यक्रम हेतु रजिस्ट्रीकरण या संपरिवर्तन के लिए पात्र होगा।

(2) फाइनल पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत कोई अभ्यर्थी परिषद् द्वारा अनुमोदित प्ररूप में आवेदन के साथ ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो समय-समय पर परिषद् द्वारा नियत की जाए, जो चालीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।"

17. उक्त विनियमों के विनियम 29क का लोप किया जाएगा।

18. उक्त विनियमों के विनियम 29ख में,

(i) शीर्ष के अधीन कोष्ठकों में आने वाले पद में, "विनिर्दिष्ट किए जाएं" शब्दों के स्थान पर "अनुमोदित" शब्द रखा जाएगा ;

(ii) उपविनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(2) उपविनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जिसने इन विनियमों के अधीन वृत्तिक शिक्षा (परीक्षा II) या वृत्तिक सक्षमता परीक्षा या मध्यवर्ती (वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा या तत्कालीन मध्यवर्ती परीक्षा या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1964 के अधीन मध्यवर्ती परीक्षा या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1949 (सुसंगत समय पर प्रवृत्त) के अधीन मध्यवर्ती या प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण की है या जिसे इन विनियमों के अधीन प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान की गई थी, फाइनल परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, परंतु उसने उस मास से पूर्ववर्ती मास, जिसमें परीक्षा का आयोजन किया जाता है, के अंतिम दिन को या उससे पूर्व सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए यथा अपेक्षित व्यवहारिक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है या वह व्यवहारिक प्रशिक्षण के अंतिम छह मास को पूरा कर रहा है।"

19. उक्त विनियमों के विनियम 29ग में,

(i) शीर्ष के अधीन कोष्ठकों में आने वाले पद में, "विनिर्दिष्ट किए जाएं" शब्दों के स्थान पर "अनुमोदित" शब्द रखा जाएगा ;

(ii) उपविनियम (1) के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जिसने वृत्तिक शिक्षा (परीक्षा II) उत्तीर्ण की है और उस मास के, जिसमें परीक्षा का आयोजन किया गया है, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन को या उससे पूर्व सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए यथा अपेक्षित व्यवहारिक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है या जो उस मास के, जिसमें परीक्षा का आयोजन किया जाता है, प्रथम दिन आधिक्य अवकाश सहित, यदि कोई हो, अंतिम बारह मास का व्यवहारिक प्रशिक्षण पूरा कर रहा है और जिसने खंड (iii) या खंड (iv) में निर्दिष्ट अध्ययन पाठ्यक्रम और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी अग्रिम पाठ्यक्रम या ऐसे अन्य पाठ्यक्रम, जिस किसी नाम से ज्ञात हो, को पूरा कर लिया है, अंतिम परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।";

(iii) उपविनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(2) उपविनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जिसने विनियम 28ड के उपविनियम (3) के अधीन परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यचर्या के अधीन वृत्तिक सक्षमता परीक्षा या एकीकृत वृत्तिक सक्षमता परीक्षा या मध्यवर्ती (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा या मध्यवर्ती परीक्षा या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1964 के अधीन तत्कालीन मध्यवर्ती परीक्षा या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1949 के अधीन मध्यवर्ती या प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण की है या जिसे उन विनियमों के अधीन प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्राप्त थी, फाइनल परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, परंतु उसने उस मास से, जिसमें परीक्षा का आयोजन किया जाता है, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन को या उससे पूर्व सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए यथा अपेक्षित व्यवहारिक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है या वह व्यवहारिक प्रशिक्षण के अंतिम छह मास, जिसमें आधिक्य अवकाश भी सम्मिलित है, को पूरा कर रहा है और पूर्वोक्त अध्ययन पाठ्यक्रम और सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संबंधी अग्रिम पाठ्यक्रम या ऐसे अन्य पाठ्यक्रम जिस किसी नाम से ज्ञात हो, को पूरा कर लिया हो।";

(iv) उपविनियम (2) के स्पष्टीकरण में,--

(क) "छठवां भाग" शब्दों के स्थान पर "सातवां भाग" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "अधिकतम 180 दिन" शब्द और अंक के स्थान पर "अधिकतम 156 दिन" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

20. उक्त विनियमों के विनियम 29ग के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“29घ. फाइनल परीक्षा में प्रवेश – [विनियम 31 के खंड (II), खंड (III) और खंड (IV) के अधीन परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यचर्या के अधीन फाइनल परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों को लागू]

(1) किसी भी अभ्यर्थी को तब तक फाइनल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जब तक कि--

- (i) वह इन विनियमों के अधीन फाइनल पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत न हो और उसने मध्यवर्ती परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो ; और
- (ii) उसने उस मास, जिसमें परीक्षा का आयोजन किया जाता है, से पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन को या उससे पूर्व सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए यथा अपेक्षित व्यवहारिक प्रशिक्षण पूरा न कर लिया हो या वह उस मास के, जिसमें परीक्षा का आयोजन किया जाता है, प्रथम दिन विनियम 50 के अधीन किसी आधिक्य अवकाश सहित, यदि कोई हो, अंतिम छह मास की सेवा न कर रहा हो ; और
- (iii) उसने सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों से संबंधित अग्रिम एकीकृत पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा न कर लिया हो ; और
- (iv) उसने ऐसी अन्य अपेक्षाओं का ऐसी रीति में अनुपालन न किया हो, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(2) उपविनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जिसने इन विनियमों के अधीन वृत्तिक शिक्षा (परीक्षा II) या वृत्तिक सक्षमता परीक्षा या एकीकृत वृत्तिक सक्षमता परीक्षा या मध्यवर्ती (वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा या मध्यवर्ती (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा या इन विनियमों के अधीन कराई गई तत्कालीन मध्यवर्ती परीक्षा या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1964 के अधीन मध्यवर्ती परीक्षा या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1949 के अधीन मध्यवर्ती या प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण की है या जिसे इन विनियमों के अधीन प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान की गई थी, फाइनल परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा । बशर्ते कि उसने सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए अपेक्षित व्यवहारिक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है या वह उस मास के, जिसमें परीक्षा का आयोजन किया जाता है, प्रथम दिन विनियम 50 के अधीन किसी आधिक्य अवकाश सहित, यदि कोई हो, अंतिम छह मास की सेवा न कर रहा हो और उसने इन विनियमों के अन्य उपबंधों का अनुपालन किया है ।

स्पष्टीकरण—ऐसे किसी अभ्यर्थी से, जिसे इन विनियमों के प्रवृत्त होने से पूर्व अंतिम परीक्षा में प्रवेश दिया गया है, यह अपेक्षा की जाएगी कि वह फाइनल परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्र बनने के लिए विनियम 51ड के अधीन सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों संबंधी अग्रिम एकीकृत पाठ्यक्रम को पूरा करे ।”।

21. उक्त विनियमों के विनियम 30 में, “समय-समय पर नियत किया जाए” शब्दों के स्थान पर “समय-समय पर नियत किया जाए और जो दस हजार रुपए से अधिक नहीं होगा” शब्द रखे जाएंगे ।

22. उक्त विनियमों के विनियम 31 में,--

- (i) खंड (i) का लोप किया जाएगा ;
- (ii) खंड (ii) और खंड (iii) में, “विनिर्दिष्ट” शब्द के स्थान पर “अनुमोदित” शब्द रखा जाएगा ;
- (iii) खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“(iv) विनियम 28ड के अधीन मध्यवर्ती पाठ्यक्रम में नामांकन प्रारंभ होने के पश्चात्, समय-समय पर परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यचर्या के अनुसार ।”।

23. उक्त विनियमों के विनियम 32 में, “परीक्षा में प्रवेश के लिए परिषद् द्वारा अनुमोदित प्ररूप में आवेदन लिया जाएगा” शब्दों के स्थान पर “परीक्षा में प्रवेश के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से ऑनलाइन या परिषद् द्वारा अनुमोदित प्ररूप में आवेदन लिया जाएगा” शब्द रखे जाएंगे ।

24. उक्त विनियमों के विनियम 35 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

“35. अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र उपलब्ध कराया जाना – उस स्थान, तारीख और समय का कथन करते हुए, जिस पर कोई अभ्यर्थी परीक्षा के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर सकेगा, एक प्रवेश पत्र प्रत्येक अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम चौदह दिन पूर्व इलैक्ट्रानिक रूप से ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा ।”।

25. उक्त विनियमों के विनियम 36 का लोप किया जाएगा ।

26. उक्त विनियमों के विनियम 36क के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

**“36ख. फाउंडेशन परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा – (1) फाउंडेशन परीक्षा देने वाले किसी अभ्यर्थी को उस समय उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले के रूप में घोषित किया जाएगा, यदि वह प्रत्येक प्रश्न पत्र में एक बार में न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंक और सभी प्रश्न पत्रों में कुल अंकों के न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करता है।**

(2) परिषद् ऐसे प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्रों में, जिनमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न अंतर्विष्ट हों, उसके द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाने वाली रीति में ऋणात्मक अंकों के मानदंड को अपना सकेगी।”।

27. उक्त विनियमों के विनियम 37क का लोप किया जाएगा।

28. उक्त विनियमों के विनियम 37ख का लोप किया जाएगा।

29. उक्त विनियमों के विनियम 37ग में,--

(i) शीर्ष के अधीन कोष्ठकों में आने वाले पद में, “विनिर्दिष्ट किए जाएं” शब्दों के स्थान पर “अनुमोदित” शब्द रखा जाएगा ;

(ii) उपविनियम (3) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसने इन विनियमों के अधीन वृत्तिक (शिक्षा II) परीक्षा या मध्यवर्ती (वृत्तिक सक्षमता) या तत्कालीन मध्यवर्ती परीक्षा या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1964 के अधीन मध्यवर्ती परीक्षा या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1949 के अधीन मध्यवर्ती या प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण की है या जिसे उस विनियम के अधीन प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान की गई थी और उसने सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए अपेक्षित विहित अवधि का व्यवहारिक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, इस प्रभाव का आवेदन करने पर और परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाने वाली अन्य शर्तों को पूरा करने पर लेखांकन तकनीशियन प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के लिए पात्र होगा।”;

(iii) उपविनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(6) ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसने मध्यवर्ती (वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा या वृत्तिक शिक्षा (परीक्षा II), जो अक्टूबर, 2001 से प्रवृत्त है, जिसके लिए परीक्षा नवंबर, 2002 से प्रारंभ हुई थी या तत्कालीन मध्यवर्ती परीक्षा में से किसी एक समूह को उत्तीर्ण किया है, किंतु दोनों समूहों को उत्तीर्ण नहीं किया है, बचे हुए अवसर या अवसरों में उस समय तत्समान प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्रों में छूट के लिए पात्र होगा, यदि तत्समान प्रश्नपत्र, परिषद् द्वारा अनुमोदित नई पाठ्यचर्या में विद्यमान है या हैं।”।

(iv) उपविनियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(7) परिषद् किसी अभ्यर्थी को पूर्व में वृत्तिक शिक्षा (परीक्षा II) या मध्यवर्ती (वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा में मंजूर की गई किसी छूट को तत्समान ऐसे प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्रों में बचे हुए अवसर या अवसरों में, जैसा कि परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जिनमें उसने छूट प्राप्त की है, उस समय छूट को जारी रखने के लिए दिशानिर्देश विरचित कर सकेगी, यदि तत्समान प्रश्नपत्र, परिषद् द्वारा अनुमोदित नई पाठ्यचर्या में विद्यमान है या हैं। ऐसे तत्समान प्रश्नपत्र या प्रश्नपत्रों की, जिसमें या जिनमें वह उत्तीर्ण हुआ था, परीक्षा में बैठने पर, उसे उस समय परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, यदि वह ऐसे तत्समान प्रश्नपत्र या प्रश्नपत्रों में, जिनमें वह अनुत्तीर्ण हुआ था, एक बार में न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंक और समूह के सभी प्रश्नपत्रों में कुल अंकों का न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, जिसमें ऐसे प्रश्न पत्र या प्रश्नपत्रों के अंक भी सम्मिलित हैं, जिनमें उसे पूर्व में परिषद् द्वारा छूट प्रदान की गई थी।”।

30. उक्त विनियमों के विनियम 37ग के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

**“37घ. मध्यवर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अपेक्षाएं – (1) कोई अभ्यर्थी समूह I और समूह II स्तर में पृथक् रूप से या एक साथ अथवा समूह I और समूह II स्तर के प्रश्न पत्रों के सेट को सम्मिलित करने वाले किसी यूनिट में उपसंजात हो सकेगा।**

(2) उस अभ्यर्थी से, जिसने लेखांकन तकनीशियन स्तर के लिए विकल्प लिया है, भिन्न किसी अभ्यर्थी को सामान्यतया उस समय मध्यवर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, यदि वह समूह I और समूह II, दोनों स्तरों पर उत्तीर्ण होता है।

(3) किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसने लेखांकन तकनीशियन स्तर के लिए विकल्प लिया है, उस स्तर में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, यदि—

(क) वह समूह I उत्तीर्ण करता है ; और

(ख) वह विनियम 51घ के अधीन सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों संबंधी एकीकृत पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करता है ; और

(ग) वह लेखांकन और संबद्ध क्षेत्रों में, परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाने वाली रीति में बारह मास से अन्यून की अवधि का व्यवहारिक कार्य अनुभव पूरा करता है :

परंतु ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसने इन विनियमों के अधीन मध्यवर्ती (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा या एकीकृत वृत्तिक सक्षमता परीक्षा या मध्यवर्ती (वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा या वृत्तिक सक्षमता परीक्षा या वृत्तिक शिक्षा II परीक्षा या तत्कालीन मध्यवर्ती परीक्षा या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1964 के अधीन मध्यवर्ती परीक्षा या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1949 के अधीन मध्यवर्ती या प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण की है या जिसे इन विनियमों के अधीन प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान की गई थी और उसने सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए अपेक्षित विहित अवधि का व्यवहारिक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, इस प्रभाव का आवेदन करने पर और परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाने वाली अन्य शर्तों को पूरा करने पर लेखांकन तकनीशियन प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के लिए पात्र होगा ।

(4) किसी अभ्यर्थी को सामान्यतया उस समय एक साथ दोनों समूहों में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, यदि -

(क) दोनों समूहों, अर्थात् समूह I और समूह II स्तरों में से प्रत्येक समूह के प्रत्येक प्रश्न पत्र में एक बार में न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंक और प्रत्येक समूह के सभी प्रश्न पत्रों के कुल अंकों के न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करता है ; या

(ख) दोनों समूहों, अर्थात् समूह I और समूह II स्तरों में से प्रत्येक के प्रत्येक प्रश्न पत्र में एक बार में न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंक और दोनों समूहों के सभी प्रश्न पत्रों के कुल अंकों के न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करता है ।”

(5) कोई अभ्यर्थी, समूह I और समूह II स्तर या यूनिट में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, यथास्थिति, यदि वह एक बार में समूह या यूनिट के प्रत्येक प्रश्न पत्र में निम्नतम चालीस प्रतिशत अंक और उस समूह या यूनिट के सभी प्रश्न पत्रों के संकलित अंकों के रूप में निम्नतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करता है ।

(6) कोई अभ्यर्थी, जो विनियम 28ड के उपविनियम (3) के अधीन परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत मध्यवर्ती (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा या एकीकृत वृत्तिक सक्षमता परीक्षा या मध्यवर्ती (वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा या वृत्तिक शिक्षा (परीक्षा- II), जो अक्टूबर, 2001 से प्रभाव में है, जिसके लिए परीक्षा नवंबर, 2002 से आरंभ हुई थी या तत्कालीन मध्यवर्ती परीक्षा के किसी एक समूह में उत्तीर्ण हुआ है परंतु दोनों समूहों में उत्तीर्ण नहीं हो पाया है, तत्समान प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्रों के लिए अनवसित अवसर या अवसरों में छूट हेतु पात्र होगा, यदि नए पाठ्यक्रम में विद्यमान तत्समान प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्रों को परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया है ।

(7) परिषद् अभ्यर्थियों को परिषद् द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तत्समान प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्रों में जिनमें उसने छूट प्राप्त की है और यदि नए पाठ्यक्रम में विद्यमान तत्समान प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्रों को विनियम 28ड के उपविनियम (4) के अधीन परिषद् द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो अनवसित अवसर या अवसरों के लिए विनियम 28ड के उपविनियम (3) के अधीन परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अधीन मध्यवर्ती (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा में पहले से ही प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्रों में अनुदत्त छूट प्रदान करना जारी रखने हेतु मार्गदर्शिकाएं बना सकती है । तत्समान प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्रों की परीक्षा, जिसमें वह असफल हुआ था, में बैठने पर यदि वह एक बार में निम्नतम चालीस प्रतिशत अंक और समूह के सभी प्रश्न पत्रों के संकलित अंकों के रूप में निम्नतम पचास प्रतिशत अंक, जिसके अंतर्गत प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्रों, जिनमें उसे पहले परिषद् द्वारा छूट अनुदत्त की गई थी, प्राप्त करता है, तो उसे परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा ।

(8) उपविनियम (1) से (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई अभ्यर्थी, जो समूह या यूनिट में समाविष्ट सभी प्रश्न पत्रों में बैठ चुका है और समूह में समाविष्ट एक या अधिक प्रश्न पत्रों में असफल रहता है परंतु उस समूह के किसी प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्रों में साठ प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, तो वह अगली तीन आने वाली परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पत्र, जिनमें उसने साठ प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किए थे, में बैठने का पात्र होगा । वह उस समूह या यूनिट में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा यदि वह प्रत्येक ऐसे प्रश्न पत्रों में एक बार बैठने पर निम्नतम चालीस प्रतिशत अंक और उस समूह या यूनिट के सभी प्रश्न पत्रों के कुल अंक का निम्नतम पचास प्रतिशत प्राप्त करता है, जिसके अंतर्गत वह प्रश्न पत्र भी है जिनमें उसने ऊपर निर्दिष्ट पहले दी गई परीक्षा में साठ प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे । वह उस समूह के बचे हुए प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्रों में किसी और छूट के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह समूह या यूनिट में उसे प्राप्त छूट को समाप्त न कर चुका हो ।

31. उक्त विनियमों के विनियम 38क का लोप किया जाएगा ।

32. उक्त विनियमों के विनियम 38ख में,—



- (i) शीर्ष के नीचे कोष्ठकों में दिए गए पद में, "यथाविनिर्दिष्ट" शब्द के स्थान पर, "अनुमोदित" शब्द रखा जाएगा ;
- (ii) उपविनियम (4) में, "जैसा विनिर्दिष्ट" शब्दों के स्थान पर, "अनुमोदित" शब्द रखा जाएगा ;
- (iii) उपविनियम (5) में, "जैसा विनिर्दिष्ट और यथाविनिर्दिष्ट" शब्दों के स्थान पर, "अनुमोदित" शब्द रखा जाएगा ।

33. उक्त विनियमों के विनियम 38 में,—

- (i) शीर्ष के नीचे कोष्ठकों में दिए गए वाक्यांश में, "यथाविनिर्दिष्ट" शब्द के स्थान पर, "अनुमोदित" शब्द रखा जाएगा ;
- (ii) उपविनियम (4) में, "जैसा विनिर्दिष्ट" शब्दों के स्थान पर, "अनुमोदित" शब्द रखा जाएगा ;
- (iii) उपविनियम (5) में, "जैसा विनिर्दिष्ट और यथाविनिर्दिष्ट" शब्दों के स्थान पर, "अनुमोदित" शब्द रखा जाएगा ।

34. उक्त विनियमों के विनियम 38 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतर्विष्ट किए जाएंगे, अर्थात् :—

**"38घ. अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अपेक्षाएं—**[विनियम 31 के खंड (ii), (iii) और (iv) के अधीन परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अधीन अंतिम परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों पर लागू होती हैं]

- (1) कोई अभ्यर्थी समसामयिक रूप से दोनों समूहों में या किसी एक समूह की एक परीक्षा में बैठ सकता है और बाकी बचे हुए समूह के लिए पश्चातवर्ती परीक्षा में बैठ सकता है और यदि वह दोनों समूहों में उत्तीर्ण होता है तो सामान्यतः फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ माना जाएगा ।
- (2) कोई अभ्यर्थी सामान्यतः समसामयिक रूप से दोनों समूहों में उत्तीर्ण हुआ माना जाएगा, यदि वह—
  - (क) प्रत्येक समूह के प्रत्येक प्रश्न पत्र में एक बार बैठने पर निम्नतम चालीस प्रतिशत अंक और प्रत्येक समूह के सभी प्रश्न पत्रों का संकलित निम्नतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करता है ; या
  - (ख) दोनों समूहों के प्रत्येक प्रश्न पत्र में एक बार बैठने पर निम्नतम चालीस प्रतिशत अंक और एक साथ लिए गए दोनों समूहों के सभी प्रश्न पत्रों का संकलित निम्नतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करता है ।
- (3) कोई अभ्यर्थी एक समूह में उत्तीर्ण माना जाएगा यदि वह एक बार बैठने पर समूह के प्रत्येक प्रश्न पत्र में निम्नतम चालीस प्रतिशत अंक और उस समूह के सभी प्रश्न पत्रों का संकलित निम्नतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करता है ।
- (4) कोई अभ्यर्थी, जो विनियम 31 के खंड (i), (ii) और (iii) के अंतर्गत अनुमोदित पाठ्यक्रम के अधीन फाइनल परीक्षा या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 की अनुसूची 'ख' के पैरा 3 या 3क के अधीन पाठ्यक्रम या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1964 की अनुसूची 'खख' के पैरा 3 (1 जनवरी, 1985 के पश्चात् दो समूहों की स्कीम) जो सुसंगत समय पर प्रवर्तित की गई, के अनुसार फाइनल परीक्षा के किसी एक समूह में उत्तीर्ण हुआ है लेकिन दोनों समूहों में उत्तीर्ण नहीं हुआ है, उस विशिष्ट समूह में छूट प्राप्त का पात्र होगा और इसलिए उससे फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए बाकी बचे हुए समूह में बैठना और उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा ।
- (5) परिषद्, किसी अभ्यर्थी को किसी प्रश्नपत्र या प्रश्नपत्रों में प्रदान की गई ऐसी छूट को जारी रखने के लिए दिशानिर्देश विरचित कर सकेगी, जो छूट पूर्व में ऐसे तत्समान प्रश्नपत्र या प्रश्नपत्रों में छूट के अनवसित अवसर या अवसरों के लिए ऐसे प्रश्नपत्र या प्रश्नपत्रों हेतु, जिसमें उसने छूट प्राप्त की थी उस समय विनियम 31 के खंड (i) (ii) और (iii) के अधीन अनुमोदित पाठ्यक्रम के अधीन प्रदान की गई थी, यदि प्रश्नपत्र परिषद् द्वारा विनियम 31 के खंड (iv) के अधीन अनुमोदित फाइनल परीक्षा की गई पाठ्यचर्या में विद्यमान है या हैं । प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्रों, जिसमें वह अनुत्तीर्ण हो गया था, के तत्समान प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्रों की परीक्षा में बैठने पर, वह परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा । यदि वह ऐसे तत्समान प्रश्नपत्र या प्रश्नपत्रों में, जिनमें वह अनुत्तीर्ण हुआ था, एक बार में न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंक और समूह के सभी प्रश्नपत्रों में कुल अंकों का

न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, जिसमें ऐसे प्रश्न पत्र या प्रश्नपत्रों के अंक भी सम्मिलित हैं, जिनमें उसे पूर्व में परिषद् द्वारा छूट प्रदान की गई थी।

- (6) उपविनियम (1) से (5) में अंतर्विष्ट, किसी बात के होते हुए भी, कोई अभ्यर्थी, जो समूह में समाविष्ट प्रश्न पत्रों में बैठ चुका है और समूह में समाविष्ट एक या अधिक प्रश्न पत्रों में असफल रहता है परंतु उस समूह के एक किसी प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्रों में निम्नतम साठ प्रतिशत अंक प्राप्त करता है तो वह शीघ्र अगली तीन आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्रों, जिनमें उसने साठ प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किए थे, में बैठने का पात्र होगा। वह उस समूह में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा यदि वह प्रत्येक ऐसे प्रश्न पत्रों में एक बार बैठने पर निम्नतम चालीस प्रतिशत अंक और उस समूह के सभी प्रश्न पत्रों के कुल अंक का निम्नतम पचास प्रतिशत प्राप्त करता है, जिसके अंतर्गत वह प्रश्न पत्र भी है, जिनमें उसने ऊपर निर्दिष्ट पहले दी गई परीक्षा में साठ प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे। वह उस समूह के बचे हुए प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्रों में किसी और छूट के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह समूह में उसे प्राप्त छूट को समाप्त न कर चुका हो।"

35. उक्त विनियमों के विनियम 39 में,—

I. उपविनियम (1) में,—

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) अभ्यर्थियों के नाम सहित प्रत्येक परीक्षा का परिणाम संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया जाएगा।"

(ii) खंड (ख) में, "सूची" शब्द के स्थान पर "परिणाम" शब्द रखा जाएगा।

II. उपविनियम (4) में, खंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—शंका को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि उत्तरों की पुनःपरीक्षा किसी भी परिस्थितियों के अधीन अनुज्ञात नहीं होगी।"

36. उक्त विनियमों के विनियम 40 में,—

(i) विद्यमान उपबंध को उपविनियम (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा ;

(ii) इस प्रकार संख्यांकित उपविनियम (1) में, "वृत्तिक शिक्षा (परीक्षा -II), मध्यवर्ती (वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा, मध्यवर्ती (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा, लेखा तकनीशियन स्तर फाइनल परीक्षा" शब्दों के स्थान पर, "मध्यवर्ती (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा, लेखा तकनीशियन स्तर, मध्यवर्ती परीक्षा या फाइनल परीक्षा" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपविनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक और उपविनियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु परिषद् किसी अभ्यर्थी को, जिसने अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की है, किंतु इन विनियमों के ऐसे अन्य उपबंधों का अनुपालन नहीं किया गया है, जिनका अनुपालन संस्थान का सदस्य बनने के लिए अपेक्षित है, ऐसा प्रमाणपत्र मंजूर करने से इंकार कर सकेगी।

(2) विदेशी लेखा निकायों के साथ प्रविष्ट सुसंगत पारस्परिक मान्यता करार या परस्पर समझ ज्ञापन में यथापरिकल्पित स्कीम के अधीन हुई विशेष परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को परिषद् द्वारा अनुमोदित प्ररूप में इस प्रभाव का एक प्रमाणपत्र अनुदत्त किया जाएगा।"

37. उक्त विनियमों के विनियम 41 में,—

(i) "किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के प्रयोजन के लिए, परीक्षा समिति" शब्दों के स्थान पर "किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के प्रयोजन के लिए, या गलत सूचना देता है, परीक्षा समिति" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :

"स्पष्टीकरण—किसी परीक्षा परिणाम का रद्द किया जाना या आर्टिकल्स का रद्द किया जाना या एक या अधिक आगामी परीक्षा में बैठने से रोका जाना या ऊपर दिए गए सभी का अभ्यर्थी के संबंध में होने को अनुशासनात्मक कार्रवाई के अंतर्गत लाया जा सकता है।"

38. उक्त विनियमों के विनियम 42 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

“42. परीक्षक – परीक्षा समिति द्वारा यथा अनुमोदित इन विनियमों के अधीन परीक्षाओं के प्रयोजन के लिए परीक्षा समिति परीक्षकों की एक सूची बना कर रखेगी।”

39. उक्त विनियमों के विनियम 45 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

**“45. आर्टिकलशिप में प्रवेश**

(1) कोई सदस्य आर्टिकलड सहायक नियुक्त करते हुए किसी व्यक्ति को आर्टिकलड सहायक के रूप में स्वीकार करने से पूर्व स्वयं को संतुष्ट करेगा कि--

(क) वह विनियम 43 के अधीन किसी आर्टिकलड सहायक को प्रशिक्षण देने का हकदार है, उसका वृत्तिक व्यवहार या यदि वह चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो व्यवहार में है, का कर्मचारी है तो उसके नियोक्ता का वृत्तिक व्यवहार या ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म, जो आर्टिकलड सहायकों के प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए उपयुक्त है ; और

(ख) ऐसा व्यक्ति—

- (i) जो विनियम 28छ के अधीन हुई दोनों समूहों की मध्यवर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है ; और
- (ii) जो इन विनियमों के विनियम 51घ के अधीन सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशल का पाठ्यक्रम पूरा कर चुका है।

(2) उपविनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई अभ्यर्थी, जो इन विनियमों के अधीन हुई वृत्तिक शिक्षा (परीक्षा -II) या मध्यवर्ती (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) के दोनों समूहों या उनमें से किसी एक को उत्तीर्ण कर चुका है या विनियम 25घ के उपविनियम (1क) के अधीन सामान्य प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्राप्त कर चुका है या विनियम 28च के उपविनियम (3) के अधीन मध्यवर्ती पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रीकरण हेतु पात्र है, आर्टिकलशिप में प्रवेश हेतु पात्र होगा, परंतु यह कि—

- (i) वह, परिषद् द्वारा इस प्रकार सुनिश्चित रीति द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम या सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है और परिषद् द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में ऐसी अवधि के लिए अभिसंस्करण पाठ्यक्रम को पूरा कर चुका है, या
- (ii) वह विनियम 51घ के अधीन सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशल के एकीकृत पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है।”

40. उक्त विनियमों के विनियम 50 में,--

- (i) खंड (i) में, “साढे तीन वर्ष” शब्दों के स्थान पर “तीन वर्ष” शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) पहले परंतुक में, “सामान्य प्रवीणता परीक्षा” शब्दों के स्थान पर “मध्यवर्ती पाठ्यक्रम में नामांकन” शब्द रखे जाएंगे ;
- (iii) दूसरे, तीसरे, चौथ और पांचवें परंतुक का लोप किया जाएगा।

41. उक्त विनियमों के विनियम 51 में, उपविनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(1) कोई आर्टिकलड सहायक, जिसने विनियम 28छ के अधीन आयोजित मध्यवर्ती परीक्षा या इन विनियमों के अधीन मध्यवर्ती (वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा या वृत्तिक शिक्षा (परीक्षा II) या तत्कालीन मध्यवर्ती परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, अपने विवेकानुसार, परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली न्यूनतम नियत आस्तियों या न्यूनतम कुल आवर्त या न्यूनतम समादत्त शेयर पूंजी वाले किसी वित्तीय, वाणिज्यिक औद्योगिक उपक्रम या ऐसी किसी अन्य संस्था या संगठन में, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किया जाए, उपविनियम (2) में विहित अवधि के लिए औद्योगिक प्रशिक्षु के रूप में सेवा कर सकेगा।”

42. उक्त विनियमों के विनियम 51क में,--

- (i) विद्यमान उपबंध को उपविनियम (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा;

(ii) इस प्रकार संख्यांकित उपविनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“(2) उपविनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिषद् किसी भी समय इस पाठ्यक्रम को बंद कर सकेगी और किसी अभ्यर्थी से, यथास्थिति, विनियम 51घ या 51ङ या दोनों के अधीन पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को पूरा करने की अपेक्षा कर सकेगी।”

43. उक्त विनियमों के विनियम 51क में,--

(i) विद्यमान उपबंध को उपविनियम (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा ;

(ii) इस प्रकार संख्यांकित उपविनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“(2) उपविनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिषद् किसी भी समय इस पाठ्यक्रम को बंद कर सकेगी और किसी अभ्यर्थी से, यथास्थिति, विनियम 51घ या 51ङ या दोनों के अधीन पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को पूरा करने की अपेक्षा कर सकेगी।”

44. उक्त विनियमों के विनियम 51ग में,--

(i) विद्यमान उपबंध को उपविनियम (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा;

(ii) इस प्रकार संख्यांकित उपविनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“(2) उपविनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिषद् किसी भी समय इस पाठ्यक्रम को बंद कर सकेगी और किसी अभ्यर्थी से, यथास्थिति, विनियम 51घ या 51ङ या दोनों के अधीन पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को पूरा करने की अपेक्षा कर सकेगी।”

45. उक्त विनियमों के विनियम 51(ग) के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

**“51घ. सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों से संबंधित एकीकृत पाठ्यक्रम –** ऐसा कोई अभ्यर्थी, जो विनियम 28च के अधीन मध्यवर्ती पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत है, आर्टिकल्स में प्रवेश से पूर्व, ऐसी अवधि का और ऐसी रीति में, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों से संबंधित एकीकृत पाठ्यक्रम को पूरा करेगा।

**51ङ सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों से संबंधित अग्रिम एकीकृत पाठ्यक्रम –** कोई आर्टिकल्ड सहायक, अपने व्यवहारिक प्रशिक्षण के अंतिम दो वर्षों के दौरान निरंतरता में कोई अंतराल दिए बिना, ऐसी अवधि का और ऐसी रीति में, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों से संबंधित अग्रिम एकीकृत पाठ्यक्रम को पूरा कर सकेगा।

स्पष्टीकरण – ऐसे किसी अभ्यर्थी से, जिसने फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण की है, किंतु जिसने इन विनियमों के अधीन संचालित साधारण प्रबंध और संचार कौशलों संबंधी पाठ्यक्रम को पूरा नहीं किया है, यह अपेक्षा की जाएगी कि वह संस्थान की सदस्यता के लिए आवेदन करने से पूर्व सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों से संबंधित अग्रिम एकीकृत पाठ्यक्रम को पूरा करे।”

46. उक्त विनियमों के विनियम 57 के उपविनियम (4) के दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु यह भी कि शनिवार, रविवार या किन्हीं राजपत्रित अवकाशों के कारण आर्टिकलों की समाप्ति और पुनः रजिस्ट्रीकरण के बीच किसी अंतराल के बारे में यह समझा जाएगा कि उस अवधि के दौरान उसने वास्तविक रूप में आर्टिकल्ड सहायक के रूप में सेवा की है और उस अवधि को संस्थान की परीक्षा में बैठने की पात्रता के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा।”

47. उक्त विनियमों के विनियम 59 के उपविनियम (1) में,--

(i) “छठवां भाग” शब्दों के स्थान पर “सातवां भाग” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) “अधिकतम 180 दिन” शब्दों और अंकों के स्थान पर “अधिकतम 156 दिन” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

48. उक्त विनियमों के विनियम 61 के उपविनियम (2) में, “ऐसे प्ररूप की एक मुद्रित प्रति को अनुरोध किए जाने पर सचिव से प्राप्त किया जाएगा और उस पर संस्थान की मुहर और उसे जारी करने की तारीख अंकित होगी और वह उसके पश्चात् केवल साठ दिन के लिए विधिमान्य होगी।” शब्दों का लोप किया जाएगा।

49. उक्त विनियमों के विनियम 69 के उपविनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम (1) रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(1) व्यवसायरत कोई सदस्य, किसी लेखा परीक्षा सहायक की सेवा के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने से पूर्व अपना यह समाधान करेगा कि :-

(क) उसका वृत्तिक व्यवसाय (या तो उसके व्यष्टिक नाम पर या किसी व्यवसाय के नाम पर या किसी फर्म के भागीदार के रूप में) लेखा परीक्षा सहायकों को नियोजित करने के प्रयोजन के लिए उचित है; और

(ख) ऐसा व्यक्ति—

(i) लेखा परीक्षा सेवा के प्रारंभ की तारीख को 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है; और

(ii) विनियम 28छ के अधीन आयोजित मध्यवर्ती परीक्षा के समूहों में से किसी एक या दोनों को उत्तीर्ण किया है; और

(iii) विनियम 51घ के अधीन सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों संबंधी एकीकृत पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया है।

(1क) उपविनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसने इन विनियमों के अधीन आयोजित वृत्तिक शिक्षा (परीक्षा II) या समूह I या मध्यवर्ती (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) के लेखांकन तकनीशियन स्तर को उत्तीर्ण किया है या जिसे विनियम 25छ के उपविनियम (1क) के अधीन सामान्य प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्राप्त है या जो विनियम 28च के उपविनियम (3) के अधीन मध्यवर्ती पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रीकृत है, लेखा परीक्षा सहायक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र होगा, परंतु—

(i) उसने परिषद् द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण या कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम को इस प्रकार विनिश्चित रीति में सफलतापूर्वक पूरा किया है, ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो समय-समय पर परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अनुकूलन पाठ्यक्रम पूरा किया है; या

(ii) उसने विनियम 51घ के अधीन सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों संबंधी एकीकृत पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया है।”।

50. उक्त विनियमों के विनियम 71 में,—

(i) खंड (i) में, “छप्पन” शब्द के स्थान पर “अडतालीस” शब्द रखा जाएगा ;

(ii) खंड (iii) में, “सहायक के रूप में सेवा” शब्दों के स्थान पर “लेखा परीक्षा सहायक के रूप में सेवा” शब्द रखे जाएंगे।

51. उक्त विनियमों के विनियम 72 के उपविनियम (1) में, “ऐसा कोई लेखा परीक्षा सहायक जिसने,” शब्दों के स्थान पर “ऐसा कोई लेखा परीक्षा सहायक जिसने विनियम 28छ के अधीन आयोजित मध्यवर्ती परीक्षा या” शब्द रखे जाएंगे।

52. उक्त विनियमों के विनियम 72क में,—

(i) विद्यमान उपबंध को उपविनियम (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा ;

(ii) इस प्रकार संख्यांकित उपविनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(2) उपविनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिषद् किसी भी समय इस पाठ्यक्रम को बंद कर सकेगी और किसी अभ्यर्थी से, यथास्थिति, विनियम 72घ या 72ङ या दोनों के अधीन पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को पूरा करने की अपेक्षा कर सकेगी।”

53. उक्त विनियमों के विनियम 72ख में,—

- (i) विद्यमान उपबंध को उपविनियम (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा;
- (ii) इस प्रकार संख्यांकित उपविनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(2) उपविनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिषद् किसी भी समय इस पाठ्यक्रम को बंद कर सकेगी और किसी अभ्यर्थी से, यथास्थिति, विनियम 72घ या 72ङ या दोनों के अधीन पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को पूरा करने की अपेक्षा कर सकेगी।”

54. उक्त विनियमों के विनियम 72ग में,--

- (i) विद्यमान उपबंध को उपविनियम (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा;
- (ii) इस प्रकार संख्यांकित उपविनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(2) उपविनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिषद् किसी भी समय इस पाठ्यक्रम को बंद कर सकेगी और किसी अभ्यर्थी से, यथास्थिति, विनियम 72घ या 72ङ या दोनों के अधीन पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को पूरा करने की अपेक्षा कर सकेगी।”

55. उक्त विनियमों के विनियम 72ग के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

**72घ. सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों से संबंधित एकीकृत पाठ्यक्रम** – ऐसा कोई अभ्यर्थी, जो विनियम 28च के अधीन मध्यवर्ती पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत है, लेखा परीक्षा सेवा में प्रवेश से पूर्व, ऐसी अवधि का और ऐसी रीति में, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों से संबंधित एकीकृत पाठ्यक्रम को पूरा करेगा।

**72ङ सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों से संबंधित अग्रिम एकीकृत पाठ्यक्रम** – कोई लेखा परीक्षा सहायक, अपने व्यवहारिक प्रशिक्षण के अंतिम दो वर्षों के दौरान निरंतरता में कोई अंतराल दिए बिना, ऐसी अवधि का और ऐसी रीति में, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों से संबंधित अग्रिम एकीकृत पाठ्यक्रम को पूरा करेगा।

स्पष्टीकरण – ऐसे किसी अभ्यर्थी से, जिसने फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण की है, किंतु जिसने इन विनियमों के अधीन संचालित साधारण प्रबंध और संचार कौशलों संबंधी पाठ्यक्रम को पूरा नहीं किया है, यह अपेक्षा की जाएगी कि वह संस्थान की सदस्यता के लिए आवेदन करने से पूर्व सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों से संबंधित अग्रिम एकीकृत पाठ्यक्रम को पूरा करे।”

56. उक्त विनियमों के विनियम 74 के उपविनियम (1) में,--

- (i) “छठवां भाग” शब्दों के स्थान पर “सातवां भाग” शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) “अधिकतम 240 दिन” शब्दों और अंकों के स्थान पर “अधिकतम 208 दिन” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

57. उक्त विनियमों के विनियम 204 में, “और अंतर्राष्ट्रीय कराधान” शब्दों के स्थान पर “, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और प्रबंध तथा कारबार वित्त” शब्द रखे जाएंगे।

वी. सागर, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./82/17]

**टिप्पण :** मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 1 जून, 1988 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/134/88, तारीख 1 जून, 1988 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए थे :-

- (i) भारत के राजपत्र, तारीख 7 अक्टूबर, 1989 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/1/89 द्वारा प्रकाशित
- (ii) भारत के राजपत्र, तारीख 19 जनवरी, 1991 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/10/90 द्वारा प्रकाशित
- (iii) भारत के राजपत्र, तारीख 19 जनवरी, 1991 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/11/90 द्वारा प्रकाशित
- (iv) भारत के राजपत्र, तारीख 23 फरवरी, 1991 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/12/91 द्वारा प्रकाशित

- (v) भारत के राजपत्र, तारीख 2 फरवरी, 1991 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/13/90 द्वारा प्रकाशित
- (vi) भारत के राजपत्र, तारीख 7 मार्च, 1992 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/19/92 द्वारा प्रकाशित
- (vii) भारत के राजपत्र, तारीख 1 सितंबर, 1995 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/28/95 द्वारा प्रकाशित
- (viii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 13 मार्च, 1996 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/30/95 द्वारा प्रकाशित
- (ix) भारत के राजपत्र, तारीख 16 अगस्त, 1997 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/31/97 द्वारा प्रकाशित
- (x) भारत के राजपत्र, तारीख 26 फरवरी, 2000 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/44/99 द्वारा प्रकाशित
- (xi) भारत के राजपत्र, तारीख 26 फरवरी, 2000 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/45/99 द्वारा प्रकाशित
- (xii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 17 अगस्त, 2001 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/51/2000 द्वारा प्रकाशित
- (xiii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 28 सितंबर, 2001 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/59/2001 द्वारा प्रकाशित
- (xiv) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 31 मार्च, 2003 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/64/2002 द्वारा प्रकाशित
- (xv) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 4 दिसंबर, 2003 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/64ए/2003 द्वारा प्रकाशित
- (xvi) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 28 जुलाई, 2005 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/83/2005 द्वारा प्रकाशित
- (xvii) भारत के राजपत्र, तारीख 17 जून, 2006 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/84/2005 द्वारा प्रकाशित
- (xviii) भारत के राजपत्र, तारीख 13 सितंबर, 2006 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/92/2006 द्वारा प्रकाशित
- (xix) भारत के राजपत्र, तारीख 17 अगस्त, 2007 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/102/2007(अ) द्वारा प्रकाशित
- (xx) भारत के राजपत्र, तारीख 25 सितंबर, 2008 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/116/2008 द्वारा प्रकाशित
- (xxi) भारत के राजपत्र, तारीख 3 दिसंबर, 2008 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/123/2008 द्वारा प्रकाशित
- (xxii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 1 अगस्त, 2012 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/145/2012 द्वारा प्रकाशित
- (xxiii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 22 जुलाई, 2014 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/154/2014 द्वारा प्रकाशित
- (xxiv) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 23 जनवरी, 2015 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/167/2014 द्वारा प्रकाशित

**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th May, 2017

**No.1-CA(7)/178/2016.**—Whereas certain draft regulations further to amend the Chartered Accountants Regulations, 1988, were published as required by sub-section (3) of section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 20<sup>th</sup> December, 2016, inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, before the expiry of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, the said Gazette was made available to the public on the 20<sup>th</sup> December, 2016;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public on the said draft regulations have been considered by the Council of the Institute;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 of the said Act, the Council, with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Chartered Accountants Regulations, 1988, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Chartered Accountants (Amendment) Regulations, 2017.  
(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Chartered Accountants Regulations, 1988 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 2 of the said regulations, in sub-regulation (1), after clause (xvii), the following clause shall be inserted, namely:-  
“(xviii) “specified” means specified by the Council in the official website of the Institute.”
3. In regulation 4 of the said regulations, in clause (b), for the words, “as may be specified”, the word, “approved” shall be substituted.
4. In regulation 22 of the said regulations, after sub-regulation (2), the following proviso shall be inserted, namely:-  
“Provided that any change in the schedule of examination due to any reason, duly approved by the Examination Committee shall be announced through the website of the Institute.”.
5. Regulation 25A of the said regulations shall be omitted.
6. Regulation 25B of the said regulations shall be omitted.
7. In regulation 25C of the said regulations, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-  
“(3) Notwithstanding anything contained in these regulations, the Council may, after the commencement of registration for the Foundation Course, discontinue registration for the Common Proficiency Course by notice in the website of the Institute.”.
8. In regulation 25D of the said regulations,-  
(i) in sub-regulation (3), for the words, “as may be specified”, the word, “approved” shall be substituted;  
(ii) after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-  
“(4) Notwithstanding anything contained in these regulations, the Council may, after the commencement of the Foundation Examination, discontinue holding the Common Proficiency Test and the candidates shall be required to pass the Foundation Examination as per the syllabus approved by the Council from time to time under regulation 25F.”.
9. After regulation 25D of the said regulations, the following regulations shall be inserted, namely:-  

**“25E. Registration for the Foundation Course.-** (1) No candidate shall be registered for the Foundation Course unless he has appeared in the Senior Secondary (10+2) Examination conducted by an examining body constituted by law in India or an examination recognised by the Central Government or the State Government as equivalent thereto for the purpose of admission to graduation course.

(2) A candidate shall pay such fee, as may be fixed by the Council from time to time, which shall not exceed twenty-five thousand rupees, along with an application in the form approved by the Council for registration to the Foundation Course.

**25F. Admission to the Foundation Examination, Fee and Syllabus. -** (1) No candidate shall be admitted to the Foundation Examination unless he -



- (a) is registered with the Board of Studies of the Institute on or before 30<sup>th</sup> day of June or 31<sup>st</sup> day of December for the examination to be held in the months of November or May respectively; and
- (b) has passed the Senior Secondary (10+2) examination conducted by an examining body constituted by law in India or an examination recognised by the Central Government or the State Government as equivalent thereto for the purpose of admission to graduation course.
- (2) A candidate for the Foundation examination shall pay such fees, as may be fixed by the Council, which shall in any case not exceed ten thousand rupees.
- (3) A candidate for the Foundation examination shall be examined in the syllabus approved by the Council from time to time.”.
10. Regulation 28A of the said regulations shall be omitted.
11. Regulation 28B of the said regulations shall be omitted.
12. Regulation 28C of the said regulations shall be omitted.
13. In regulation 28D of the said regulations, -
- (i) in sub-regulation (2) - for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-
- “Provided further that a candidate who was already registered for erstwhile Intermediate or Professional Education (Course-II) or Intermediate (Professional Competence) Course under these regulations shall be eligible for enrolment or conversion to Intermediate (Integrated Professional Competence) Course subject to such conditions as may be specified by the Council.”;
- (ii) after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-
- “(4) Notwithstanding anything contained in these regulations, the Council may, after the commencement of registration for the Intermediate Course, discontinue registration for the Intermediate (Integrated Professional Competence) Course by notice in the website of the Institute.”.
14. In regulation 28E of the said regulations, -
- (i) in the phrase appearing in brackets under the heading, for the words, “as may be specified”, the word, “approved” shall be substituted;
- (ii) in sub-regulation (3), for the words, “as may be specified”, the word, “approved” shall be substituted;
- (iii) for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
- “(4) Notwithstanding anything contained in these regulations, the Council may after the commencement of registration for Intermediate Course, discontinue holding the Intermediate (Integrated Professional Competence) Examination and require the candidates to pass the Intermediate Examination as per the syllabus approved by the Council from time to time under regulation 28G.”.
15. After regulation 28E of the said regulations, the following regulations shall be inserted, namely:-
- “28F. Registration for Intermediate Course and Fees. -** (1) The study course for the chartered accountancy candidates shall be named as Intermediate Course, which shall be composed of three levels viz. Group I, Accounting Technician (optional) and Group II. A candidate may opt for enrolment to (i) Group I or (ii) Group I and Accounting Technician or (iii) Accounting Technician and Group II or (iv) Group I and Group II or (v) for all the levels referred to above in this regulation.
- (2) A candidate for registration for Intermediate Course shall pay such fees as may be fixed by the Council which shall not exceed twenty-five thousand rupees along with his application in the form as may be approved by the Council.
- (3) No candidate shall be registered for the Intermediate Course unless he has passed the Foundation Examination.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (3), a graduate or post graduate within the meaning of clause (ix) of regulation 2 shall be eligible for registration to Intermediate Course, if such person is a –

- (a) graduate or post graduate in commerce having secured in aggregate a minimum of fifty five per cent. of the total marks or its equivalent grade in the examination conducted by any recognised university (including Open University) by studying any three papers each carrying a minimum of fifty marks in a semester or year and cumulatively hundred or more marks over the entire duration of the concerned course, out of the subjects i.e., Accounting, Auditing, Mercantile laws, Corporate laws, Economics, Management (including Financial Management), Taxation (including Direct Tax Laws and Indirect Tax Laws), Costing, Business Administration or Management Accounting or similar to the title of these papers with different nomenclatures, as approved by the Board of Studies of the Institute; or
- (b) graduate or post graduate other than those referred to in clause (a), having secured in aggregate a minimum of sixty per cent. of the total marks or its equivalent grade in the examination conducted by any recognised university (including Open University).

Explanation—For the purpose of this sub-regulation -

- (i) for calculating the percentage of marks, the marks secured in subjects in which a person is required by the University (including Open University) to obtain only pass marks and for which no special credit is given for higher marks, shall be ignored; and
- (ii) any fraction of half or more shall be rounded up to the next whole number.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (3), a candidate who is pursuing the final year of graduation course shall be eligible for provisional registration to the Intermediate Course which shall be confirmed only on submission of satisfactory proof of having passed the graduation examination with the minimum marks as provided in sub-regulation (4) of this regulation within such period not exceeding six months as may be decided by the Council, from the date of appearance in the final year graduation examination:

Provided that if such candidate fails to produce the proof within the aforesaid period, his provisional registration shall be cancelled and for the purpose of these regulations –

- (i) no credit shall be given for the theoretical education undergone; and
- (ii) the Council may permit refund of such amount of registration and tuition fee, as may be decided by it from time to time.

(6) A candidate who has passed the Intermediate examination conducted by the Institute of Cost Accountants of India set up under the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959) or by the Institute of Company Secretaries of India set up under the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980) shall also be eligible for registration to Intermediate Course:

Provided that a candidate who has passed the Entrance or erstwhile Foundation or Professional Education (Examination – I) or Common Proficiency Test under these regulations shall be eligible for registration to Intermediate Course subject to compliance with other provisions of these regulations and such other conditions as may be specified by the Council:

**28G. Admission to the Intermediate Examination, Fees and Syllabus.** - (1) No candidate shall be admitted to the Intermediate Examination unless he is registered with the Board of Studies of the Institute and produces a certificate to the effect that he has undergone a study course for such period and in such manner as may be specified by the Council from time to time as on the first day of the month in which the examination is held:

Provided that a candidate who is registered for the Intermediate Course under sub-regulation (3) of regulation 28F shall be eligible for admission to the Intermediate examination after completion of nine months of practical training under regulation 50 on the first day of the month in which examination is held:

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), a candidate who was registered for the erstwhile Intermediate or Professional Education (Course-II) or Intermediate (Professional Competence) Course or the Intermediate (Integrated Professional Competence) Course shall be eligible for admission to the Intermediate Examination on such conditions as may be specified by the Council and subject to compliance with other provisions of these regulations.

(3) A candidate for the Intermediate examination shall pay such fees, as may be fixed by the Council from time to time, which shall not exceed ten thousand rupees.

(4) A candidate for the Intermediate Examination, shall be examined as per the syllabus approved by the Council from time to time.”.

16. For regulation 29 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

**“29. Registration for Final Course and fees.** - (1) A candidate who has passed the Intermediate examination under these regulations shall be required to register for the Final course:

Provided that a candidate who has passed the erstwhile Intermediate Examination or Professional Education (Examination-II) or Intermediate (Professional Competence) Examination or the Intermediate (Integrated Professional Competence) Examination held under these regulations but has not registered for Final Course on the date of coming into force of these regulations shall be eligible for registration to the Final Course subject to compliance with other provisions of these regulations:

Provided further that a candidate who is already registered for Final Course under these regulations shall be eligible for registration or conversion to Final Course subject to such conditions as may be specified by the Council.

(2) A candidate for registration to the Final Course shall pay such fee as may be fixed by the Council from time to time which shall not exceed forty thousand rupees along with an application in the Form approved by the Council.”.

17. Regulation 29A of the said regulations shall be omitted.

18. In regulation 29B of the said regulations,-

(i) in the phrase appearing in brackets under the heading, for the words, “as may be specified”, the word, “approved” shall be substituted.

(ii) for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), a candidate who has passed the Professional Education (Examination-II) or the Professional Competence Examination or the Intermediate (Professional Competence) Examination or the erstwhile Intermediate Examination under these regulations or the Intermediate Examination under the Chartered Accountants Regulations, 1964 or the Intermediate or the First Examination under the Chartered Accountants Regulations, 1949 (enforced at the relevant time) or was exempted from passing the First Examination under those regulations shall be admitted to the Final examination provided he has completed the practical training as required for admission as a member on or before the last day of the month preceding the month in which the examination is held or has been serving the last six months of practical training.”.

19. In regulation 29C of the said regulations,-

(i) in the phrase appearing in brackets under the heading, for the words, “as may be specified”, the word, “approved” shall be substituted;

(ii) in sub-regulation (1), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that a candidate who has passed Professional Education (Examination-II) and has completed the practical training as required for admission as a member on or before the last day of the month preceding the month in which the examination is held or has been serving the last twelve months of practical training including excess leave, if any, on the first day of the month in which the examination is held and has completed the study course and Advanced Course on Information

Technology Training referred to in clause (iii) and (iv) or such other Course by whatever name called, shall be admitted to the Final Examination.”;

(iii) for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), a candidate who has passed the Professional Competence Examination or Integrated Professional Competence Examination or Intermediate (Integrated Professional Competence) Examination under the syllabus approved by the Council under sub-regulation (3) of regulation 28E or the erstwhile Intermediate Examination or Intermediate Examination under the Chartered Accountants Regulations, 1964 or the Intermediate or the first examination under the Chartered Accountants Regulations, 1949, or was exempted from passing the first examination under those regulations shall be admitted to the Final examination provided that he has completed the practical training required for admission as a member on or before the last day of the month preceding the month in which the examination is held or has been serving the last six months of practical training including excess leave, if any on the first day of the month in which the examination is held and has completed the aforesaid study course and Advanced Course on Information Technology Training or such other Course by whatever name called.”;

(iv) in Explanation to sub-regulation (2),-

(a) for the words “one-sixth”, the words “one-seventh” shall be substituted;

(b) for the words and figures, “maximum of 180 days”, the words and figures “maximum of 156 days” shall be substituted.

20. After regulation 29C of the said regulations, the following regulation shall be inserted, namely:-

“**29D. Admission to Final Examination.** - [Applicable to candidates appearing in Final Examination under the syllabus approved by the Council under clauses (ii), (iii) and (iv) of regulation 31]

(1) No candidate shall be admitted to the Final Examination unless he -

(i) is registered for the Final Course and has passed the Intermediate Examination held under these regulations; and

(ii) has completed the practical training as required for admission as a member on or before the last day of the month preceding the month in which the examination is held or has been serving the last six months of practical training, including excess leave, if any, under regulation 50 on the first day of the month in which the examination is held; and

(iii) has successfully completed advanced Integrated Course on Information Technology and Soft Skills; and

(iv) has complied with such other requirements in such manner as may be specified by the Council from time to time.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), a candidate who has passed the Professional Education (Examination –II) or the Professional Competence Examination or the Integrated Professional Competence Examination or the Intermediate (Professional Competence) Examination or Intermediate (Integrated Professional Competence) Examination or the erstwhile Intermediate Examination held under these Regulations or Intermediate Examination under the Chartered Accountants Regulations, 1964 or the Intermediate or the first examination under the Chartered Accountants Regulations, 1949, or was exempted from passing the first examination under those regulations shall be admitted to the Final examination provided that he has completed the practical training as required for admission as a member or has been serving the last six months of practical training, including excess leave, if any, under regulation 50 on the first day of the month in which the examination is held and has complied with other provisions of these regulations.

Explanation. - A candidate who has been admitted to the Final Examination before coming into force of these regulations shall be required to complete the Advanced Integrated Course on Information Technology and Soft Skills under regulation 51E, for becoming eligible for admission to Final Examination.”.

21. In regulation 30 of the said regulations, for the words, “from time to time”, the words, “from time to time which shall not exceed ten thousand rupees” shall be substituted.
22. In regulation 31 of the said regulations,-
- (i) clause (i) shall be omitted;
  - (ii) in clause (ii) and (iii), for the word, “specified”, the word, “approved” shall be substituted;
  - (iii) after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:-
  - “(iv) as per the syllabus approved by the Council from time to time after commencement of enrolment to Intermediate Course under regulation 28F.”.
23. In regulation 32 of the said regulations, for the words, “an examination shall be made in the form approved by the Council”, the words, “an examination shall be made online electronically or in the form approved by the Council” shall be substituted.
24. For regulation 35 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-
- “35. Candidates to be provided with Admit Card.** - An admit card stating the place, dates and time at which the candidate may present himself for an examination shall be made available online electronically to each candidate not less than fourteen days before the commencement of the examination.”.
25. Regulation 36 of the said regulations shall be omitted.
26. After regulation 36A of the said regulations, the following regulation shall be inserted, namely:-
- “36B. Requirement for passing the Foundation Examination.-** (1) A candidate for the Foundation Examination shall ordinarily be declared to have passed the examination if he obtains at one sitting a minimum of forty per cent. marks in each paper and a minimum of fifty per cent. marks in the aggregate of all the papers.
- (2) The Council may adopt the criteria of negative marking in a paper or papers having objective type questions in such manner as may be specified by it from time to time.”.
27. Regulation 37A of the said regulations shall be omitted.
28. Regulation 37B of the said regulations shall be omitted.
29. In regulation 37C of the said regulations,-
- (i) in the phrase appearing in brackets under the heading, for the words, “as may be specified”, the word, “approved” shall be substituted;
  - (ii) in sub-regulation (3), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-
- “Provided that a candidate, who has passed either the Intermediate (Professional Competence) Examination or Professional (Education-II) or erstwhile Intermediate Examination under these regulations or the Chartered Accountants Regulations, 1964 or Intermediate or the first examination under the Chartered Accountants Regulations, 1949 or was exempted from passing the first examination under that regulation and has completed the prescribed period of practical training required for admission as a member, shall be eligible for grant of Accounting Technician Certificate on making an application to this effect and on compliance with such other conditions as may be specified by the Council from time to time.”;
- (iii) for sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
- “(6) A candidate, who has passed in any one but not in both the groups either of the Intermediate (Professional Competence) Examination or Professional Education (Examination-II) effective from October, 2001, the examination for which commenced from November, 2002 or of the erstwhile Intermediate Examination shall be eligible for exemption in the corresponding paper or papers for the unexpired chance or chances, if the corresponding paper or papers exists in the new syllabus approved by the Council.”;
- (iv) for sub-regulation (7), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(7) The Council may frame guidelines to continue to award exemption in a paper or papers to a candidate, granted earlier in the Professional Education (Examination-II) or in the Intermediate (Professional Competence) Examination for the unexpired chance or chances of the exemption in the corresponding paper or papers, as may be specified by the Council, in which he has secured exemption if the corresponding paper or papers exists in the new syllabus approved by the Council. On appearing in the examination of the corresponding paper or papers in which he had failed, he shall be declared to have passed the examination if he secures at one sitting a minimum of forty per cent. marks in the corresponding paper or papers in which he had failed earlier and a minimum of fifty per cent. marks in the aggregate of all the papers of the group including the marks of the paper or papers in which he had earlier been granted exemption by the Council.”.

30. After regulation 37C of the said regulations, the following regulation shall be inserted, namely:-

**“37D. Requirements for passing the Intermediate Examination.** - (1) A candidate may appear in Group I or Group II level, separately or simultaneously or in a Unit comprising of a set of papers of Group-I or Group-II.

(2) A candidate, other than a candidate who has opted for Accounting Technician level, shall ordinarily be declared to have passed the Intermediate Examination, if he passes in both Group I and Group II levels.

(3) A candidate, who has opted for the Accounting Technician level, shall be declared to have passed in that level, if he -

- (a) passes in Group I; and
- (b) successfully completes Integrated Course on Information Technology and Soft Skills under regulation 51D; and
- (c) completes the practical work experience in accounting and related fields for a period not less than twelve months in such manner as may be specified by the Council from time to time:

Provided that a candidate, who has passed either the Intermediate (Integrated Professional Competence) Examination or Integrated Professional Competence Examination or Intermediate (Professional Competence) Examination or Professional Competence Examination or Professional Education-II Examination or erstwhile Intermediate Examination under these regulations or the Chartered Accountants Regulations, 1964 or Intermediate or the first examination under the Chartered Accountants Regulations, 1949 or was exempted from passing the first examination under that regulation and has completed the prescribed period of practical training as required for admission as a member, shall be eligible for grant of Accounting Technician Certificate on making an application to this effect and on compliance with such other conditions as may be specified by the Council from time to time.

(4) A candidate shall ordinarily be declared to have passed in both the groups simultaneously, if he –

- (a) secures at one sitting a minimum of forty per cent. marks in each paper of each of the groups, viz., Group I and Group II levels, and minimum of fifty per cent. marks in the aggregate of all the papers of each of the groups; or
- (b) secures at one sitting a minimum of forty per cent. marks in each paper of both the groups, viz., Group I and Group II levels, and a minimum of fifty per cent. marks in the aggregate of all the papers of both the groups taken together.

(5) A candidate shall be declared to have passed in Group I level or Group-II level or Unit, as the case may be, if he secures at one sitting a minimum of forty per cent. marks in each paper of the group or unit and a minimum of fifty per cent. marks in the aggregate of all the papers of that Group or Unit.

(6) A candidate, who has passed in any one but not in both the groups either of the Intermediate (Integrated Professional Competence) Examination or Integrated Professional Competence Examination under the syllabus approved by the Council under sub-regulation (3) of regulation 28E or Intermediate (Professional Competence) Examination or Professional Education (Examination-II)

effective from October, 2001, the examination for which commenced from November, 2002 or of the erstwhile Intermediate Examination, shall be eligible for exemption in the corresponding paper or papers for the unexpired chance or chances, if the corresponding paper or papers exists in the new syllabus approved by the Council.

(7) The Council may frame guidelines to continue to award exemption in a paper or papers to a candidate, granted earlier in the Intermediate (Integrated Professional Competence) Examination under the syllabus approved by the Council under sub-regulation (3) of regulation 28E for the unexpired chance or chances of the exemption in the corresponding paper or papers, as may be specified by the Council, in which he has secured exemption if the corresponding paper or papers exists in the new syllabus approved by the Council under sub-regulation (4) of regulation 28G. On appearing in the examination of the corresponding paper or papers in which he had failed, he shall be declared to have passed the examination if he secures at one sitting a minimum of forty per cent. marks in the corresponding paper or papers in which he had failed earlier and a minimum of fifty per cent. marks in the aggregate of all the papers of the group including the marks of the paper or papers in which he had earlier been granted exemption by the Council.

(8) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1) to (5), a candidate who has appeared in all the papers comprised in a Group or Unit and fails in one or more papers comprised in a Group but secures a minimum of sixty per cent. marks in any paper or papers of that Group shall be eligible to appear at any one or more of the next three following examinations in the paper or papers in which he secured less than sixty per cent. marks. He shall be declared to have passed in that Group or Unit if he secures at one sitting a minimum of forty per cent. marks in each of such papers and a minimum of fifty per cent. of the total marks of all papers of that Group or Unit including the paper or papers in which he had secured a minimum of sixty per cent. marks in the earlier examination referred to above. He shall not be eligible for any further exemption in the remaining paper or papers of that Group or Unit until he has exhausted the exemption already granted to him in that Group or Unit.”

31. Regulation 38A of the said regulations shall be omitted.

32. In regulation 38B of the said regulations,-

- (i) in the phrase appearing in brackets under the heading, for the words, “as may be specified”, the word, “approved” shall be substituted;
- (ii) in sub-regulation (4), for the words, “as specified”, the word, “approved” shall be substituted;
- (iii) in sub-regulation (5), for the words, “as specified” and the words, “as may be specified”, the word, “approved” shall be substituted.

33. In regulation 38C of the said regulations,-

- (i) in the phrase appearing in brackets under the heading, for the words, “as may be specified”, the word, “approved” shall be substituted;
- (ii) in sub-regulation (4) for the words, “as specified”, the word, “approved” shall be substituted’;
- (iii) in sub-regulation (5), for the words, “as specified” and the words, “as may be specified”, the word, “approved” shall be substituted.

34. After regulation 38C of the said regulations, following regulation shall be inserted, namely:-

**“38D. Requirements for passing the Final Examination.** - [Applicable to candidates appearing in Final Examination under the syllabus approved by the Council under clauses (ii), (iii) and (iv) of regulation 31]

(1) A candidate may appear in both the groups simultaneously or in one group in one examination and the remaining group at any subsequent examination and shall ordinarily be declared to have passed the Final Examination if he passes in both the groups.

(2) A candidate shall ordinarily be declared to have passed in both the groups simultaneously, if he –

- (a) secures at one sitting a minimum of forty per cent. marks in each paper of each of the

groups and minimum of fifty per cent. marks in the aggregate of all the papers of each of the groups; or

- (b) secures at one sitting a minimum of forty per cent. marks in each paper of both the groups and a minimum of fifty per cent. marks in the aggregate of all the papers of both the groups taken together.

(3) A candidate shall be declared to have passed in a group if he secures at one sitting a minimum of forty per cent. marks in each paper of the group and a minimum of fifty per cent. marks in the aggregate of all the papers of that group.

(4) A candidate who has passed in any one but not in both the groups of the Final Examination under the syllabus approved by the Council under clauses (i), (ii) and (iii) of regulation 31 or of the Final Examination as per the syllabus under paragraph 3 or 3A of Schedule 'B' to the Chartered Accountants Regulations, 1988 or paragraph 3 of Schedule 'BB' to the Chartered Accountants Regulations, 1964 (two groups scheme after January 1, 1985) enforced at the relevant time shall be eligible for exemption in that particular group and shall be required to appear and pass in the remaining group in order to pass the Final Examination.

(5) The Council may frame guidelines to continue to award exemption in a paper or papers to a candidate, granted earlier under the syllabus approved under clauses (i), (ii) and (iii) of regulation 31 for the unexpired chance or chances of the exemption in the corresponding paper or papers for the paper or papers in which he had secured exemption, if the corresponding paper or papers exist in the new syllabus of the Final Examination approved by the Council under clause (iv) of regulation 31. On appearing in the examination of the corresponding paper or papers for the paper or papers in which he had failed, he shall be declared to have passed the examination, if he secures at one sitting a minimum of forty per cent. in the corresponding paper or papers for the paper or papers in which he had failed earlier and a minimum of fifty per cent. marks in the aggregate of all the papers of the group including the marks of the paper or papers in which he had earlier been granted exemption by the Council.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1) to (5), a candidate who has appeared in all the papers comprised in a group and fails in one or more papers comprised in a group but secures a minimum of sixty per cent. of the marks in any paper or papers of that group shall be eligible to appear at any one or more of the immediately next three following examinations in the paper or papers in which he secured less than sixty per cent. marks. He shall be declared to have passed in that group, if he secures at one sitting a minimum of forty per cent. marks in each of such papers and a minimum of fifty per cent. of the total marks of all papers of that group including the paper or papers in which he had secured a minimum of sixty per cent. marks in the earlier examination referred to above. He shall not be eligible for any further exemption in the remaining paper or papers of that group until he has exhausted the exemption already granted to him in that group.”.

35. In regulation 39 of the said regulations,-

I. in sub-regulation (1), -

(i) for clause (a), following clause shall be substituted namely:-

“(a) The result of each examination along with the names of the candidates shall be made available on the website of the Institute.”.

(ii) in clause (b), for the word, “list”, the word, “result” shall be substituted.

II. in sub-regulation (4), after clause (iv), the following Explanation shall be inserted, namely:-

“Explanation. – For the removal of doubt, it is clarified that re-examination of answers shall not be permitted under any circumstances.”.

36. In regulation 40 of the said regulations,-

(i) the existing provision shall be numbered as sub-regulation (1);

(ii) in sub-regulation (1) as so re-numbered, for the words, “Professional Education (Examination-II), Intermediate (Professional Competence) Examination, Intermediate (Integrated Professional Competence) Examination, Accounting Technician level, or Final



Examination” the words “Intermediate (Integrated Professional Competence) Examination, Accounting Technician level, Intermediate Examination or Final Examination” shall be substituted;

after sub- regulation (1) as so re-numbered, the following proviso and sub-regulation shall be inserted, namely:-

Provided that the Council may refuse to grant such certificate to a candidate who has passed the final examination but has not complied with other provisions of these regulations which are required to be complied with for becoming a member of the Institute.

“(2) A candidate passing the Special Examinations held under the Scheme as envisaged in the relevant Mutual Recognition Agreement or Memorandum of Understanding entered into with overseas accounting bodies, shall be granted, a certificate to that effect in the Form approved by the Council.”.

37. In regulation 41 of the said regulations,-

(i) for the words “for the purpose of passing an examination, the Examination Committee“, the words, “for the purpose of passing an examination, or supplies false information, the Examination Committee” shall be substituted;

(ii) for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely:-

“*Explanation* – Disciplinary action may include the cancellation of any examination result, or the cancellation of articles or debarring from appearance in one or more following examinations or all the above in relation to the candidate.”.

38. For regulation 42 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

“**42. Examiners.**- The Examination Committee shall maintain a list of examiners for the purpose of the examinations under these regulations as approved by it.”.

39. For regulation 45 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

“**45. Admission to Articleship.**-

(1) A member engaging articled assistants shall before accepting a person as an articled assistant satisfy himself that –

(a) he is entitled to train articled assistants under regulation 43, his professional practice or that of his employer, if he is an employee of chartered accountant in practice or a firm of such chartered accountants, is suitable for the purpose of training articled assistants; and

(b) such a person –

(i) has passed either or both the groups of Intermediate Examination held under regulation 28G; and

(ii) has completed Integrated Course on Information Technology and Soft Skills under regulation 51D of these regulations.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), a candidate who has passed Professional Education (Examination-II) or either or both the Groups of Intermediate (Integrated Professional Competence) Examination held under these regulations or has been exempted from passing Common Proficiency Test under sub-regulation (1A) of regulation 25D or is eligible for registration to Intermediate Course under sub-regulation (3) of regulation 28F shall be eligible for admission to articleship provided that he has -

(i) successfully completed computer training programme or Information Technology Training as may be specified from time to time by the Council and in the manner so decided and completed the Orientation Course for such period and in such manner and within such time as may be specified by the Council from time to time; or

(ii) successfully completed Integrated Course on Information Technology and Soft Skills under regulation 51D.”.

40. In regulation 50 of the said regulations,-
- (i) in clause (i), for the words, “ three and half years”, the words, “ three years” shall be substituted;
  - (ii) in the first proviso, for the words, “Common Proficiency Test”, the words, “enrolment to Intermediate Course” shall be substituted;
  - (iii) second, third, fourth and fifth provisos shall be omitted.
41. In regulation 51 of the said regulations, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
- “(1) An articulated assistant who has passed the Intermediate Examination held under regulation 28G or Intermediate (Professional Competence) Examination or Professional Education (Examination-II) or erstwhile Intermediate examination under these regulations may, at his discretion, serve as an industrial trainee for the period prescribed in sub-regulation (2) in any of the financial, commercial, industrial undertakings with minimum fixed assets or minimum total turnover or minimum paid-up share capital as may be specified by the Council or such other institution or organisation as may be approved by the Council from time to time.”.
42. In regulation 51A of the said regulations,-
- (i) the existing provision shall be numbered as sub-regulation (1);
  - (ii) after sub-regulation (1) as so re-numbered, the following sub-regulation shall be inserted, namely:-
- “(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), the Council may discontinue this course and require a candidate to complete the course or courses under regulation 51D or 51E or both, as the case may be.”.
43. In regulation 51B of the said regulations,-
- (i) the existing provision shall be numbered as sub-regulation (1);
  - (ii) after sub-regulation (1) as so re-numbered, the following sub-regulation shall be inserted, namely:-
- “(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), the Council may discontinue this course and require a candidate to complete the course or courses under regulation 51D or 51E or both, as the case may be.”.
44. In regulation 51C of the said regulations,-
- (i) the existing provision shall be numbered as sub-regulation (1);
  - (ii) after sub-regulation (1) as so re-numbered, the following sub-regulation shall be inserted, namely:-
- “(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), the Council may discontinue this course and require a candidate to complete the course or courses under regulation 51D or 51E or both, as the case may be.”.
45. After regulation 51C of the said regulations, the following regulations shall be inserted, namely:-
- 51D. Integrated Course on Information Technology and Soft Skills.** - A candidate who has been registered for the Intermediate Course under regulation 28F shall before admission to the articles, undergo Integrated Course on Information Technology and Soft Skills for such duration and in such manner as may be specified by the Council from time to time.
- 51E. Advanced Integrated Course on Information Technology and Soft Skills.** - An articulated assistant during the last two years of his practical training without any break in continuity shall undergo an Advanced Integrated Course on Information Technology and Soft Skills for such duration and in such manner as may be specified by the Council from time to time.
- Explanation.* - A candidate who has passed the Final examination but not completed the Course on

General Management and Communication Skills conducted under these regulations, shall be required to complete the Advance Integrated Course on Information Technology and Soft Skills before applying for membership of the Institute.”.

46. In regulation 57 of the said regulations, in sub-regulation (4), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided also that any break between termination and re-registration of articles arising out of Saturday, Sunday or any Gazetted holidays, shall be deemed as period actually served as an articulated assistant and shall be reckoned for the purpose of eligibility to appear in the examination of the Institute.”.

47. In regulation 59 of the said regulations, in sub-regulation (1), -

- (i) for the words, “one-sixth”, the words, “one-seventh” shall be substituted;
- (ii) for the words and figures, “maximum of 180 days”, the words and figures “maximum of 156 days” shall be substituted.

48. In regulation 61 of the said regulations, in sub-regulation (2), the words, “A printed copy of such form shall be obtained on request from the Secretary and shall bear the stamp of the Institute and date of its issue and shall be valid only for sixty days thereafter.”, shall be omitted.

49. In regulation 69 of the said regulations, for sub-regulation (1), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

“(1) A member in practice before applying for registration of the service of an audit assistant shall satisfy himself that:-

- (a) his professional practice (either in his individual name or in a trade name or as a partner of the firm) is suitable for the purpose of engaging audit assistants; and
- (b) such a person -
  - (i) is not less than 18 years of age on the date of commencement of audit service; and
  - (ii) has passed either or both the groups of Intermediate Examination held under regulation 28G; and
  - (iii) has successfully completed Integrated Course on Information Technology and Soft Skills under regulation 51D.

(1A) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), a candidate who has passed Professional Education (Examination-II) or Group I or Accounting Technician level of Intermediate (Integrated Professional Competence) Examination held under these regulations or has been exempted from passing Common Proficiency Test under sub-regulation (1A) of regulation 25D or is eligible for registration to Intermediate Course under sub-regulation (3) of regulation 28F shall be eligible for registration as an audit assistant provided that he has -

- (i) successfully completed computer training programme or Information Technology Training as may be specified from time to time by the Council and in the manner so decided; completed the Orientation Course for such period and in such manner and within such time as may be specified by the Council from time to time; or
- (ii) has successfully completed Integrated Course on Information Technology and Soft Skills under regulation 51D.”.

50. In regulation 71 of the said regulations,-

- (i) in clause (i), for the words, “fifty-six”, the words, “forty-eight” shall be substituted;
- (ii) in clause (ii), for the words, “service as an assistant”, the words, “service as an audit assistant” shall be substituted.

51. In regulation 72 of the said regulations, in sub-regulation (1), for the words, “An audit assistant who has passed the”, the words, “An audit assistant who has passed the Intermediate Examination held under regulation 28G or” shall be substituted.
52. In regulation 72A of the said regulations,-
- (i) the existing provision shall be numbered as sub-regulation (1);
  - (ii) after sub-regulation (1) as so re-numbered, the following sub-regulation shall be inserted, namely:-  
“(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), the Council may discontinue this course and require a candidate to complete the course or courses under regulation 72D or 72E or both, as the case may be.”.
53. In regulation 72B of the said regulations,-
- (i) the existing provision shall be numbered as sub-regulation (1);
  - (ii) after sub-regulation (1) as so re-numbered, the following sub-regulation shall be inserted, namely:-  
“(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), the Council may discontinue this course and require a candidate to complete the course or courses under regulation 72D or 72E or both, as the case may be.”.
54. In regulation 72C of the said regulations,-
- (i) the existing provision shall be numbered as sub-regulation (1);
  - (ii) after sub-regulation (1) as so re-numbered, the following sub-regulation shall be inserted, namely:-  
“(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), the Council may discontinue this course and require a candidate to complete the course or courses under regulation 72D or 72E or both, as the case may be.”.
55. After regulation 72C of the said regulations, the following regulations shall be inserted, namely:-
- “72D. Integrated Course on Information Technology and Soft Skills.-** A candidate who has been registered for the Intermediate Course under regulation 28F shall before admission to audit service, undergo Integrated Course on Information Technology and Soft Skills for such duration and in such manner as may be specified by the Council from time to time.
- 72E. Advanced Integrated Course on Information Technology and Soft Skills.-** An audit assistant during the last two years of his audit service without any break in continuity shall undergo an Advanced Integrated Course on Information Technology and Soft Skills for such duration and in such manner as may be specified by the Council from time to time.
- Explanation.-* A candidate who has passed the Final examination but not completed the Course on General Management and Communication Skills conducted under these regulations, shall be required to complete the Advanced Integrated Course on Information Technology and Soft Skills before applying for the membership of the Institute.”.
56. In regulation 74 of the said regulations, in sub-regulation (1) -
- (i) for the words, “one-sixth”, the words, “one-seventh” shall be substituted;
  - (ii) for the words and figures, “maximum of 240 days”, the words and figures “maximum of 208 days” shall be substituted.
57. In regulation 204 of the said regulations, for the words, “and International Taxation”, the words, “International Taxation and Management and Business Finance” shall be substituted.

V. SAGAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./82/17]

**Note:** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 1<sup>st</sup> June, 1988 vide number 1-CA(7)/134/88 dated 1<sup>st</sup> June, 1988 and subsequently amended by the following numbers:-

- (i) Notification No.1-CA(7)/1/89 published in the Gazette of India, dated 7<sup>th</sup> October, 1989
- (ii) Notification No.1-CA(7)/10/90 published in the Gazette of India, dated 19<sup>th</sup> January, 1991
- (iii) Notification No.1-CA(7)/11/90 published in the Gazette of India, dated 19<sup>th</sup> January, 1991
- (iv) Notification No.1-CA(7)/12/91 published in the Gazette of India, dated 23<sup>rd</sup> February, 1991
- (v) Notification No.1-CA(7)/13/90 published in the Gazette of India, dated 2<sup>nd</sup> February, 1991
- (vi) Notification No.1-CA(7)/19/92 published in the Gazette of India, dated 7<sup>th</sup> March, 1992.
- (vii) Notification No.1-CA(7)/28/95 published in the Gazette of India dated 1<sup>st</sup> September, 1995
- (viii) Notification No.1-CA(7)/30/95 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 13<sup>th</sup> March, 1996
- (ix) Notification No. 1-CA(7)/31/97 published in the Gazette of India, dated 16<sup>th</sup> August, 1997
- (x) Notification No. 1-CA(7)/44/99 published in the Gazette of India dated 26<sup>th</sup> February, 2000
- (xi) Notification No.1-CA(7)/45/99 published in the Gazette of India, dated 26<sup>th</sup> February, 2000
- (xii) Notification No.1-CA(7)/51/2000 published in the Gazette of India, Extraordinary, dated 17<sup>th</sup> August, 2001
- (xiii) Notification No.1-CA(7)/59/2001 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 28<sup>th</sup> September, 2001
- (xiv) Notification No.1-CA(7)/64/2002 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 31<sup>st</sup> March, 2003
- (xv) Notification No.1-CA(7)/64A/2003 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 4<sup>th</sup> December, 2003
- (xvi) Notification No.1-CA(7)/83/2005 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 28<sup>th</sup> July, 2005
- (xvii) Notification No.1-CA(7)/84/2005 published in the Gazette of India, dated 17<sup>th</sup> June, 2006
- (xviii) Notification No. 1-CA(7)/92/2006 published in the Gazette of India, dated 13<sup>th</sup> September, 2006
- (xix) Notification No. 1-CA(7)/102/2007(E) published in the Gazette of India, dated 17<sup>th</sup> August, 2007
- (xx) Notification No.1-CA(7)/116/2008 published in the Gazette of India, dated 25<sup>th</sup> September, 2008
- (xxi) Notification No.1-CA(7)/123/2008 published in the Gazette of India, dated 3<sup>rd</sup> December, 2008
- (xxii) Notification No. 1-CA(7)/145/2012 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 1<sup>st</sup> August, 2012
- (xxiii) Notification No. 1-CA(7)/154/2014 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 22<sup>nd</sup> July, 2014
- (xxiv) Notification No. 1-CA(7)/167/2014 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 23<sup>rd</sup> January, 2015.